रामलल्लू तनय चन्द्रिका प्रसाद मिश्र, उम्र 73 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम परसिया, तहसील मऊगंज, थाना नईगढ़ी, जिला रीवा (म0प्र0)

———आवेदक / निगरानीकर्ता (रेस्पाडेन्ट क0–1)

विरूद्ध

1— रामानुग्रह मिश्र तनय राजगोपाल मिश्र,

2— गोकुल प्रसाद तनय बंशगोपाल मिश्र

3— रामायण प्रसाद तनय राजगोपाल मिश्र

4— महेन्द्र प्रसाद तनय गोकुल प्रसाद

सभी का पेशा खेती, सभी निवासी ग्राम परसिया, थाना नईगढ़ी, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0)

5— श्रीमती समोधिया पत्नी शंकर प्रसाद पेशा खेती, निवासी ग्राम नंदनपुर, तहसील व थाना मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0)

———अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्तागण

न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा संभाग के उद्भूत अपील प्रकरण क0 174 / अपील / 2001—02 में पारित आदेश दिनांक 06 / 06 / 07 के विरूद्ध निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :—

1— अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 06 / 06 / 2007 विधि, न्यायिक प्रकिया व सहज न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2— अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर बिल्कुल ध्यान नही दिया कि द्वितीय अपील में जो अपर कमिश्नर रीवा संभाग के न्यायालय में दिनांक 29 / 11 / 2001 में प्रस्तुत की गई थी वह स्पष्टतः जाहिरा तौर पर 11 माह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 207–एक/2008 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–06–2016	आदेश पत्रिका का अवलोकन करने पर पाया गया है कि अपर आयुक्त ने प्रकरण दिनांक 28.03.2007 को सुनवाई उपरांत दिनांक 15.6.07 नियत किया था, किन्तु 15.06.07 के पूर्व अपीलार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 14.05.07 को नियत किया गया । जिसके पश्चात् प्रकरण 01.06.2007 को नियत किया गया और उत्तरवादी को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये । तत्परांत प्रकरण 01.06.2007 को उत्तरवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये दिनांक 06.06.2007 को आदेश पारित किया गया । 2/ आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि चूँकि प्रकरण 15.06.2007 को नियत किया गया था, किन्तु इससे पूर्व ही प्रकरण में 3 तारीखे आर्थत 14.5.07, 1.6.07 एवं 6.6.07 नियत किया जाकर प्रकरण में आदेश पारित किया गया है और उत्तरवादी को एकपक्षीय करते हुये आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में आदेश पारित किया है । जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना था कि प्रकरण में	

15.06.07 उभयपक्ष को तारीख दी गई है। तो 15.06.07 के पूर्व प्ररकण में सुनवाई करने के वक्त यह सुनिश्चित करना अनिवार्य था कि उत्तरवादी को सूचना पत्र तामील कराई की नहीं । किन्तु उपरोक्त कार्यवाही न होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.07 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण का गुणदोषों के आधार पर निराकरण किया जावे।

(के0सी0 जैन)
सदस्य